



Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE



“ऑपरेशन कन्विकशन” के क्रम में छेडछाड की घटना कारित करने के आरोपी पंकज उर्फ पैदा को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 01 वर्ष का कारावास व 3,000 रुपये अर्थदण्ड की सजा-



अवगत कराना है कि वर्ष 2021 में अभियुक्त पंकज उर्फ पैदा पुत्र ब्रह्म सिंह निवासी गढी कलंजरी थाना चांदीनगर जनपद बागपत द्वारा छेडछाड करने की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना चांदीनगर पर मु0अ0सं0 216/21 धारा 354ए/323/504/506 भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 02.05.2026 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज स्पेशल पोक्सो कोर्ट जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त पंकज उर्फ पैदा को दोषी पाते हुए 01 वर्ष के कारावास व 3,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।



नरेन्द्र पवार
एडीजीसी

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा “ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।



है0का0 आसिफ अली
कोर्ट पैराकार

@baghpatpolice

baghpatpolice



Baghpat Police





प्रेस नोट

थाना कोतवाली खेकडा दिनांक 02.05.2026

थाना कोतवाली खेकडा पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन शस्त्र अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली खेकडा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से एक अवैध देशी तमंचा .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0स0 134/26 धारा 3/25 आयुध अधि0 पंजीकृत किया गया । आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. ईशा आलम उर्फ इस्लाम पुत्र याकुब उम्र 40 वर्ष निवासी पुर्वा करामत अली केसर गंज थाना देहली गेट जनपद मेरठ ।

बरामदगी का विवरण:-

- एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर ।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 387/24 धारा 310(2),317(3) बीएनएस व 3/4/25/27 आर्म्स एक्ट थाना लोहियानगर मेरठ

2. मु0अ0सं0 459/24 धारा 311,317(2) बीएनएस थाना लोहियानगर मेरठ



3.मु0अ0सं0 460/24 धारा 109(1),3(5) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना लोहियानगर मेरठ

4.मु0अ0सं0 415/25 धारा 2/3गैंगस्टर एक्ट थाना लोहियानगर मेरठ

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1-उ0नि0 श्री भूरेन्द्र सिंह चौहान थाना खेकडा बागपत ।

2-है0का0 08 मुकेश कुमार थाना खेकडा बागपत ।

3-है0का0 03 मनोजकुमार थाना खेकडा बागपत ।

4-है0का0 397 मौ0 रफीक थाना खेकडा बागपत



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक 02.05.2026

थाना बडौत पुलिस ने 05 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा 05 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तों का नाम व पता-

1.सलीम उर्फ नफीस पुत्र मीदा उर्फ रफीक निवासी मौ0 पट्टी चौधरान गन्दा नाला रोड कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत उम्र करीब 36 वर्ष

2. रविन्द्र पुत्र प्रकाश निवासी ग्राम लुहारी थाना बडौत जनपद बागपत उम्र करीब 52 वर्ष



3. शौकीन पुत्र इस्लाम निवासी मौ० पठान कोट कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत
4. अमरपाल पुत्र मंशाराम निवासी ग्राम शाहपुर बडौली थाना बडौत जनपद बागपत
5. प्रदीप कुमार पुत्र पन्ना निवासी काशीराम कालोनी कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत
उम्र करीब 33 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० श्री ओमपाल सिंह थाना बडौत जनपद बागपत।
2. उ०नि० श्री संदीप राजपूत थाना बडौत जनपद बागपत।
3. उ०नि० श्री संजीव कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।
4. म०उ०नि० नीतू सिंह थाना बडौत जनपद बागपत।
5. है०का० 22 अमित नागर थाना बडौत जनपद बागपत।
6. है०का० 437 बलजीत सिंह थाना बडौत जनपद बागपत।
7. है०का० 769 सतेन्द्र थाना बडौत जनपद बागपत।
8. है०का० 559 सचिन कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।
9. का० 420 राशिद अली थाना बडौत जनपद बागपत।
10. का० 463 पवन कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।

